



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102024-257948
CG-DL-E-16102024-257948

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4122]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 2024/आश्विन 22, 1946

No. 4122]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ASVINA 22, 1946

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4485(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करती है, नामतः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश को सौर तापीय प्रणाली, उपकरण और घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर लागू होगा।

2. आवेदन - यह आदेश, इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट माल या वस्तुओं के संबंध में लागू होगा, लेकिन निर्यात किए जाने वाले माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।

3. मानक के अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट माल या वस्तु उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप होगी तथा भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त लाइसेंस के तहत मानक चिह्न धारण करेंगे।

4. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण** - (1) ब्यूरो, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तनकारी प्राधिकारी होगा।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो या ऐसी एजेंसियाँ, जिन्हें उक्त ब्यूरो द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है, भारत सरकार में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित मानक चिह्न धारित माल या वस्तुओं में भारतीय मानक की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए बाजार निगरानी करेगी।

5. **उल्लंघन के लिए जुर्माना** - कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 29 की उप-धारा (3) के तहत दंडनीय होगा।

अनुसूची

क्र.सं.	माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सौर जल तापन प्रणालियों के लिए सौर फ्लैट प्लेट कलेक्टर	आईएस 12933 (भाग 1) : 2003	सौर फ्लैट प्लेट कलेक्टर – विशिष्टता भाग-1 आवश्यकताएं
		आईएस 12933 (भाग 2) : 2003	सौर फ्लैट प्लेट कलेक्टर – विशिष्टता भाग 2 घटक
2	सभी ग्लास-इवेक्यूटेड ट्यूब सौर जल तापन प्रणाली	आईएस 16544 : 2016	सभी ग्लास-इवेक्यूटेड ट्यूब सौर जल तापन प्रणाली
3	सभी ग्लास-इवेक्यूटेड ट्यूबों सौर जल तापन प्रणालियों के लिए भंडारण पानी की टंकी	आईएस 16542 : 2016	सभी ग्लास-इवेक्यूटेड ट्यूबों के लिए प्रत्यक्ष प्रविष्टि प्रकार भंडारण पानी की टंकी सौर कलेक्टर विनिर्देश

टिप्पणी: इस आदेश के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड (7) के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण ऐसे प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. 313/2/2023-एस एंड क्यूसी]

डॉ. ए.के. त्रिपाठी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी', (एमएनआरई)

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

ORDER

New Delhi, the 8th October, 2024

S.O. 4485(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Solar Thermal Systems, Devices and Components (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Application. - This Order shall apply in relation to goods or article specified in column (2) of the Schedule annexed to this Order, but shall not apply to goods or article meant for export.

3. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark. - Goods or article specified in the column (2) of the Schedule below shall conform to the corresponding Indian Standard specified in the column (3) of the said Schedule and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

4. Certifying and enforcing authority. - (1) The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (2) of the said Schedule.

(2) The Bureau of Indian Standards or such agencies, as may be notified in this behalf by the said Bureau, in consultation with the Ministry of New and Renewable Energy in the Government of India shall conduct market surveillance to ensure the conformity to Indian Standard for goods or article bearing Standard Mark mentioned in the column (2) of the said Schedule.

5. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of sub-section (3) of section 29 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

SCHEDULE

S. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Solar Flat Plate Collector for Solar Water Heating Systems	IS 12933 (Part 1): 2003	Solar Flat Plate Collector - Specification Part 1 Requirements
		IS 12933 (Part 2): 2003	Solar Flat Plate Collector- Specification Part 2 Components
2.	All Glass Evacuated Tubes Solar Water Heating System	IS 16544: 2016	All Glass Evacuated Tubes Solar Water Heating System
3.	Storage Water Tank for All Glass Evacuated Tubes Solar Water Heating Systems	IS 16542: 2016	Direct Insertion Type Storage Water Tank for All Glass Evacuated Tubes Solar Collector-Specification

Note:- For the purposes of this Order, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau of Indian Standards from time to time in accordance with the provisions of clause (7) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), shall apply from the date of such publication.

[F. No. 313/2/2023-S AND QC]

Dr. A. K. TRIPATHI, Adviser/Scientist G, (MNRE)